न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 03 / 2024

बउनवान

जिला रसद अधिकारी, बारां जिला–बारां

(प्रार्थी)

बनाम

श्रीमति सुलोचना बाई (पॉश कोड–8678) उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत जीरोद, तहसील अटरू, जिला–बारां (राज.)

(अप्रार्थिया)

प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत

उपस्थिति :–1. परोकार रसद (प्रार्थी)

2. श्री रामसिंह ऐरवाल एड. (अप्रार्थिया)

आदेश दिनांक– 08.01.2025

1– प्रार्थी की ओर से जनमॉग वसूली अधिनियम,1952 के तहत प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थिया इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थिया द्वारा राशन वितरण में अनियमितता कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर कार्यालय के पत्रांक 435–41 दिनांक 22.04.2024 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया था। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा विभागीय आवंटित राशन सामग्री में से गेंहू NFSA 42234 किग्रा का गबन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर खण्ड 8 क व 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानदार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर कार्यालय के आदेश कमांक 1377–1385 दिनांक 20.04.2024 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 84/2003 निरस्त किया जाकर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/–रू. जब्त सरकार किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त उचित मूल्य दुकानदार से 42234 किग्रा. गेंहू की राशि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र दिनांक 24.02.20[illegible] भारतीय खाद्य निगम की इकॉनोमिक लागत एवं विभागीय खर्चों के आ[illegible] 2[illegible]/–रू. प्रति किलो की दर से गेंहू के पेटे 1[illegible]6/– रू व[illegible] हेतु निवेदन किया [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:04:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

प्रार्थी द्वारा रिक्वीजेशन प्रपत्र । प्रस्तुत करने पर दिनांक 02.08.2024 को प्रपत्र–2 धारा–4 के तहत जारी किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर जनमांग वसूली अधिनियम–1952 के तहत नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिया को धारा–6 के तहत नोटिस जारी किया जाकर, धारा–4 का प्रमाण पत्र संलग्न कर तलब किया गया।

3– अप्रार्थिया की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया गया कि अप्रार्थिया उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पोश मशीन खराब हो जाने व गांव में नेटवर्क न आने के कारण सितम्बर 2016 से फरवरी 2024 तक लम्बी अवधि के दौरान विभाग द्वारा आवंटित राशन सामग्री में से 422.34 क्विं. गेंहू को राशन उपभोक्ताओं को वितरण कर उसका इन्द्राज बिक्री रजिस्टर में किया गया था जिस पर जिन जिन उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण किया गया उनके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार अप्रार्थिया ने 422.34 क्विं. गेंहू का कोई गबन नही किया है किन्तु उक्त बिक्री रजिस्टर कही रखने में आ गये हैं जिन्हे अप्रार्थिया एक माह के अन्दर तलाश कर पेश कर देगी। अतः कार्यवाही निरस्त फरमाकर अप्रार्थिया उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत जीरोद को राशन सामग्री सप्लाई करने का आदेश दिये जाने की कृपा करें।

4– जवाब पेश होने पर हमने बहस उभयपक्ष सुनी।

5– दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थिया द्वारा विभागीय आवंटित राशन सामग्री में से गेंहू NFSA 42234 किग्रा का गबन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर अप्रार्थिया को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 84/2003 निरस्त किया जाकर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/–रू. जब्त सरकार किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। अप्रार्थी से 42234 किग्रा. गेंहू की राशि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र दिनांक 24.02.2020 अनुसार भारतीय खाद्य निगम की इकॉनोमिक लागत एवं विभागीय खर्चों के आधार पर निर्धारित दर 27/–रू. प्रति किलो की दर से गेंहू के पेटे 1140318/– रू. वसूल करने हेतु आदेश पारित किये जाने हेतु निवेदन किया।

6– दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थिया ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थिया ने पोश मशीन खराब होने तथा गांव में नेटवर्क नहीं आने के कारण 422.34 क्विं. गेंहू का इन्द्राज बिक्री रजिस्टर में कर उपभोक्ताओं को वितरित किया है अप्रार्थिया ने गेंहू का कोई गबन नहीं किया है। अतः अप्रार्थिया के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त कर अप्रार्थिया उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत जीरोद को राशन सामग्री सप्लाई करने का आदेश प्रार्थी को प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:04:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

7— हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 05.04.2024 अनुसार अप्रार्थिया एफपीएस (पॉश कोड–8678) द्वारा अवशेष स्टॉक 42234 किग्रा. गेंहू अटेचमेन्ट उचित मूल्य दुकानदार को नहीं संभलाया गया। इस प्रकार अप्रार्थिया आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 84/2003 निरस्त किया गया। तथा गेंहू की मात्रा के आधार पर निर्धारित दर 27/–रू. प्रति किलो की दर से गेंहू के पेटे 1140318/– रूपये वसूली योग्य निकाली गई है।

6— अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थिया श्रीमति सुलोचना बाई (पॉश कोड–8678) उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत जीरोद, तहसील अटरू, जिला–बारां (राज0) से राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत राशि 1140318/–रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित वसूल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। अप्रार्थिया से उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति मय प्रमाणपत्र धारा–4 जिला रसद अधिकारी, बारां एवं जिला राजस्व लेखाकार, बारां को भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 08.01.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज0)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलेक्टर
बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:04:22 IST
Reason: SelfAttested